दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत में प्ली बार्गेनिंग का पुनर्गठन : आपराधिक न्याय प्रणाली में एक सुधार

www.nextias.com

भारत में प्ली बार्गेनिंग का पुनर्गठन : आपराधिक न्याय प्रणाली में एक सुधार

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की कमजोर रूप से कार्यरत प्ली बार्गेनिंग प्रणाली में आवश्यक सुधारों की समीक्षा हेतु बहु-हितधारक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है।

भारत में प्ली बार्गेनिंग के बारे में

- यह एक पूर्व-विचारण (Pre-trial) वार्तानुकूल समझौता है, जिसमें अभियुक्त स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करने के बदले कम दंड, हल्के आरोप, अथवा मामले के त्वरित निपटान के लिए सहमत होता है।
- इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों के भार को कम करना, शीघ्र न्याय सुनिश्चित करना, मुकदमेबाजी की लागत घटाना, विचाराधीन कैदियों की निरुद्धावस्था कम करना तथा आपराधिक न्याय प्रशासन की दक्षता बढ़ाना है।
- यह उन अपराधों पर लागू होता है जिनमें अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास का प्रावधान हो, जो सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित न करते हों तथा जो महिलाओं या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध न किए गए हों।
- यह स्वैच्छिक प्रकृति का होता है। पक्षकारों की पारस्परिक संतुष्टि आवश्यक होती है तथा न्यायालय की निगरानी अनिवार्य होती है।

प्ली बार्गेनिंग के प्रकार

- **चार्ज बार्गेनिंग :** अभियुक्त कम गंभीर आरोप स्वीकार करने के लिए दोष स्वीकार करता है।
- **सेंटेंस बार्गेनिंग :** अभियुक्त कम दंड प्राप्त करने के बदले दोष स्वीकार करता है।
- भारत मुख्यतः सेंटेंस बार्गेनिंग प्रणाली का अनुसरण करता है।

विधिक ढाँचा

- **संवैधानिक आधार:** उच्चतम न्यायालय ने बार-बार त्वरित न्याय को निष्पक्ष प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना है। प्ली बार्गेनिंग निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है—
  - **अनुच्छेद 21:** जीवन एवं त्वरित सुनवाई का अधिकार
  - **अनुच्छेद 39A:** समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता
- **वैधानिक ढाँचा:** प्ली बार्गेनिंग को औपचारिक रूप से दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से सम्मिलित किया गया।
  - दंड प्रक्रिया संहिता की धाराएँ 265A से 265L तक प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया, न्यायालय की भूमिका, पीड़ित को प्रतिकर तथा दंड निर्धारण के मानकों से संबंधित थीं।
- **बीएनएसएस, 2023 के अंतर्गत स्थिति:** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 294 के अंतर्गत प्ली बार्गेनिंग के प्रावधानों को बनाए रखा गया है।
  - हालाँकि, चिंताएँ बनी हुई हैं क्योंकि प्ली बार्गेनिंग के परिणामस्वरूप औपचारिक दोषसिद्धि होती है, सामाजिक कलंक बना रहता है तथा अभियुक्तों के लिए प्रोत्साहन कमजोर बने रहते हैं।

प्ली बार्गेनिंग क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- प्ली बार्गेनिंग का उपयोग उन्नत आपराधिक न्याय प्रणालियों में न्यायालयों के भार को कम करने हेतु व्यापक रूप से किया जाता है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में 90–95%, कनाडा में 85–90%, ऑस्ट्रेलिया में 80–90% मामलों का निपटान प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से होता है, जबकि भारत में यह 1% से भी कम है।
- **एनसीआरबी आँकड़े विफलता को दर्शाते हैं:** एनसीआरबी (2023) के अनुसार, 1.65 करोड़ आपराधिक मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें केवल 35,889 मामलों का निपटान प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से हुआ, जो भारत में मात्र 0.216% निपटान दर को दर्शाता है।
  - यह इस तंत्र के लगभग पूर्णतः अल्प-उपयोग को प्रकट करता है।

भारत में प्ली बार्गेनिंग की विफलता के कारण

- **दोषसिद्धि का सामाजिक कलंक:** सफल प्ली बार्गेनिंग के परिणामस्वरूप औपचारिक दोषसिद्धि तथा कम दंड मिलता है, न कि अभियुक्त की दोषमुक्ति।
  - फलस्वरूप, आपराधिक अभिलेख बना रहता है, सामाजिक कलंक बना रहता है, रोजगार संबंधी अयोग्यताएँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा भविष्य में विधिक हानियाँ जारी रहती हैं।
  - यह अभियुक्तों को प्ली बार्गेनिंग अपनाने से हतोत्साहित करता है।
- **अपराधों के समझौते से प्रतिस्पर्धा:** समझौतायोग्य अपराधों में पक्षकार कुछ लघु अपराधों का निजी रूप से निपटान कर सकते हैं, जिससे औपचारिक समझौता, मुकदमे से बचाव तथा अभियुक्त की दोषमुक्ति संभव हो जाती है।

अपराधों का समझौता बनाम प्ली बार्गेनिंग

अपराधों का समझौता (धारा 359, बीएनएसएस):
समझौतायोग्य अपराधों में पक्षकार कुछ अपराधों का निजी रूप से निपटान कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त की दोषमुक्ति हो जाती है।

प्ली बार्गेनिंग	समझौता
दोषसिद्धि बनी रहती है	दोषमुक्ति प्रदान की जाती है
दंड में कमी आपराधिक कलंक बना रहता है	कोई दंड नहीं दिया जाता
दंड में कमी आपराधिक कलंक बना रहता है	स्वच्छ आपराधिक अभिलेख बना रहता है

अभियोजन पक्ष की रुचि का अभाव: प्ली बार्गेनिंग की सफलता अभियोजकों पर अत्यधिक निर्भर करती है।

- तथापि, समस्याएँ बनी रहती हैं जैसे कि अपर्याप्त प्रशिक्षण, वार्ता कौशल की कमी, दोषसिद्धि दरों पर अत्यधिक ध्यान देना बजाय न्याय की दक्षता पर, तथा संस्थागत उदासीनता।
- भारत में कनाडा जैसे देशों की भाँति वार्तात्मक समझौतों हेतु विशेष अभियोजन संस्कृति का अभाव है।

- **संस्थागत तंत्र का अभाव:** भारत में दोषस्वीकार समझौते के लिए समर्पित प्रकोष्ठ, प्रशिक्षित मध्यस्थ, निगरानी प्रणाली तथा जवाबदेही ढाँचे उपलब्ध नहीं हैं।
  - इसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन असंगत और अप्रभावी रहा है।

- **संवैधानिक एवं नैतिक चिंताएँ:** यद्यपि दोषस्वीकार समझौता न्यायिक दक्षता प्रदान करता है, फिर भी इसमें जबरदस्ती की संभावना, असमान वार्तात्मक शक्ति, निर्दोष व्यक्तियों द्वारा दोष स्वीकार करने का जोखिम, तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर प्रभाव जैसी चिंताएँ बनी रहती हैं।
  - अतः सुरक्षा उपायों और न्यायिक परीक्षण की अनिवार्यता है।

सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- **न्यायिक लंबित मामलों की समस्या का समाधान:** भारत की न्यायपालिका अपनी क्षमता से अधिक दबाव में कार्य कर रही है, जहाँ लगभग 5.88 करोड़ मामले लंबित हैं।
  - मुख्य चिंताओं में अत्यधिक लंबित मामले, न्याय वितरण में विलंब, विचाराधीन कैदियों की उच्च संख्या तथा बढ़ती मुकदमेबाजी लागत शामिल हैं।
  - प्ली बार्गेनिंग विचारण न्यायालयों पर पड़ने वाले भार को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकती है।
- **विचाराधीन कैदियों के संरक्षण की आवश्यकता:** भारत की कारागार जनसंख्या का एक बड़ा भाग विचाराधीन कैदियों से बना है।
  - प्रभावी प्ली बार्गेनिंग अनावश्यक कारावास को कम कर सकती है, मामलों के निपटान में तीव्रता ला सकती है तथा कारागार प्रबंधन में सुधार कर सकती है।
- **न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ करना:** आर्थिक रूप से कमजोर वादकारियों के लिए दीर्घकालिक मुकदमेबाजी महंगी एवं कष्टसाध्य होती है। वार्तानुकूल समझौते त्वरित समाधान, कम विधिक व्यय तथा पीड़ितों को बेहतर प्रतिकर सुनिश्चित कर सकते हैं।

NEXT IAS

सुझावित सुधार

- **प्ली बार्गेनिंग से जुड़े सामाजिक कलंक को समाप्त करना:** प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत दिए जाने वाले दंड को अधिकांशतः सामाजिक कलंक से मुक्त बनाया जाना चाहिए।
- इसके लिए ऐसे उपाय किए जा सकते हैं, जैसे—
  - वार्तानुकूल दोषस्वीकार से उत्पन्न रोजगार संबंधी अयोग्यताओं को समाप्त करना,
  - लघु अपराधों से संबंधित दोषसिद्धियों के प्रकटीकरण को सीमित करना, तथा
  - कुछ प्ली परिणामों को गैर-अभिरक्षात्मक समझौते के रूप में मान्यता देना।
- **दोषमुक्ति-आधारित परिणामों की शुरुआत:** एक प्रमुख सुधार यह हो सकता है कि उपयुक्त मामलों में दोषमुक्ति को भी संभावित वार्तानुकूल परिणाम के रूप में स्वीकार किया जाए।
  - इससे प्ली बार्गेनिंग की स्वीकार्यता बढ़ेगी, अभियुक्तों में भय कम होगा तथा अपराधों के समझौते संबंधी प्रावधानों के साथ समानता स्थापित होगी।
- **प्ली बार्गेनिंग मध्यस्थता प्रकोष्ठों की स्थापना:** प्रत्येक जिला न्यायालय में एक समर्पित प्ली बार्गेनिंग सुविधा केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें विधिक सहायता प्रतिनिधि, पीड़ित समन्वय अधिकारी तथा प्रशिक्षित मध्यस्थ शामिल हों।
  - ऐसा संस्थागत समर्थन पारदर्शिता एवं विश्वास को बढ़ा सकता है।

- **अभियोजन क्षमता को सुदृढ़ करना:** कनाडा की प्रणाली निष्पक्ष वार्तानुकूल परिणामों, मामलों के कुशल निपटान तथा नैतिक अभियोजन आचरण पर केंद्रित है।
  - भारत को भी इसी प्रकार अभियोजकों को वार्ता कौशल का प्रशिक्षण देना चाहिए, दोषसिद्धि आँकड़ों पर अत्यधिक निर्भरता कम करनी चाहिए तथा मानक संचालन प्रक्रियाएँ विकसित करनी चाहिए।
- **न्यायिक पर्यवेक्षण को बनाए रखना:** पक्षकारों द्वारा प्ली पर सहमति बनने के बाद भी न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषस्वीकार स्वैच्छिक है, तथ्यात्मक आधार उचित है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है तथा दंड अनुपातिक है।
  - विधिसम्मत प्रक्रिया की सुरक्षा हेतु न्यायिक पर्यवेक्षण अत्यावश्यक है।
- **डेटा-आधारित जवाबदेही विकसित करना:** उच्च न्यायालय के निर्देशन में एक डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया जा सकता है, जो प्ली बार्गेनिंग के मामलों की संख्या, अपराध की श्रेणियाँ, निपटान में लगा समय तथा जिला-वार प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखे।
  - नियमित निगरानी से कार्यान्वयन एवं पारदर्शिता में सुधार हो सकता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- प्ली बार्गेनिंग में भारत की आपराधिक न्याय प्रशासन प्रणाली को परिवर्तित करने की अपार क्षमता है, किंतु वर्तमान ढाँचा संरचनात्मक कमजोरियों, संस्थागत उदासीनता तथा प्रोत्साहनों के अभाव से ग्रस्त है।
- भारत को ऐसी संतुलित प्ली बार्गेनिंग व्यवस्था की आवश्यकता है, जो त्वरित न्याय, निष्पक्षता, पीड़ित सहभागिता, न्यायिक पर्यवेक्षण तथा संस्थागत जवाबदेही का समन्वय सुनिश्चित करे।
- इसमें सुधार केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि त्वरित न्याय के अधिकार से जुड़ी एक संवैधानिक अनिवार्यता है।

स्रोत: IE

NEXT IAS

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: भारत में प्ली बार्गेनिंग से संबंधित चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। इसे आपराधिक न्याय प्रशासन का प्रभावी साधन बनाने हेतु आवश्यक सुधारों का सुझाव दीजिए।